लोक आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश

टी0सी0–46, वी0–1, विभूति खण्ड, गेमती नगर, लखनऊ

दूरभाषः– 0522–2728660, 2306717, फैक्सः 0522–2306647

नीलामी सूचना शासकीय वाहन

लोक आयुक्त प्रशासन, उ0प्र0 के शासकीय वाहन संख्या–यू0पी0–32 बी0जी0 5981 टोयोटा इनोवा (डीजल) की बिक्री हेतु मोहर बन्द निविदायें दिनांक 15–01–2024 कार्यालय समय तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक क्रेताओं को कार्य दिवस में वाहन देखने की सुविधा कार्यालय परिसर में **"जहॉ भी जैसी स्थिति में है"** उपलब्ध रहेगी। निविदाये निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये विभागाध्यक्ष को सुरक्षित रहेगा। नीलामी की अन्य शर्तें कार्यालय के सूचना पट/वेबसाइट पर देखी जा सकती है। नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिभूति के रूप में धनराशि रू0 5000/– का ड्राफ्ट सचिव, लोक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

सचिव

लोक आयुक्त, उ0प्र0।

नीलामी की शर्ते

1. वाहन 'जहॉ है जैसा है' कि स्थिति में नीलाम किया जायेगा।
2. बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण अवलोकन कर लें। नीलामी होने वाले वाहन की नीलामी से एक दिन पूर्व अपरान्ह 2:30 बजे से 04:30 बजे तक लोक आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 के परिसर के पास अवलोकन किया जा सकता है।
3. वित्त विभाग, भारत सरकार के नोटिफिकेशन नं0–36/2017–सेन्ट्रल टैक्स(रेट) दिनांकित 13–10–2017, के अधीन जारी सर्कुलर के अनुसार बोलीदाता का जी0एस0टी0 में पंजीकरण, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड धारक होना चाहिए। इस संबंध में जी0एस0टी0 में अस्थायी पंजीयन (कैजुअल/टेम्परारी रजिस्ट्रेशन) भी मान्य होगा।
4. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे।
5. प्रत्येक बोली वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रू0 5000/– (रूपया पॉच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट **"सचिव, लोक आयुक्त, उ0प्र0"** के नाम से जमा करना होगा तथा जी0एस0टी0 में पंजीकृत होने का प्रमाण भी संलग्न करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उनको तत्काल बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में वापस कर दिया जायेगा।
6. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा जो उक्त धनराशि जमा करेगा।
7. जिसकी अंतिम बोली स्वीकार की जाएगी उसे बोली की 75 प्रतिशत धनराशि तुरंत जमा करनी होगी, तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि को नीलामी से एक सप्ताह में जमा करना होगा। यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित उपरोक्त के अनुरूप जमा नहीं करायी जाती है तो बोली निरस्त समझी जाएगी व जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।
8. नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गयी बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् ही अंतिम रूप से स्वीकृत माना जायेगा।
9. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अंतिम रूप से स्वीकार होगा उस व्यक्ति को वाहन ले जाने की अनुमति मिलने के एक सप्ताह के अदंर वाहन को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।
10. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह वाहन को नियमानुसार अपने नाम हस्तांतरित कराने के बाद ही चलाने में प्रयोग करेगा तथा लोक आयुक्त प्रशासन, उ0प्र0 के नाम का प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेगा तथा यदि वाहन को नष्ट करना/स्क्रेप के रूप में प्रयोग करना चाहता है, तो इसकी भी सूचना नियमानुसार संबंधित सम्भागीय परिवाहन अधिकारी को प्रदान करेगा।
11. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति नीलाम वाहन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, यदि भविष्य में कोई घटना घटित होती है, तो उसके लिये स्वंय जिम्मेदार होगा।
12. नीलामी के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
13. नियमानुसार जी0एस0टी0 सहित अन्य कर आदि उच्चतम बोलीदाता के द्वारा देय होगा।
14. नीलाम किये गये वाहन के उच्चतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने बोली की पूर्ण धनराशि का भुगतान, आर0टी0ओ0 ऑफिस द्वारा निर्धारित वाहन का टैक्स, इंश्योरेंस एवं जी0एस0टी0 जमा करके वाहन अपने नाम पर हस्तांतरित न करा लिया हो।
15. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो सचिव, लोक आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।